243

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

R 188-II-17

प्रकरण कमांक –दो/2017 निगरानी

(1) रामजीलाल पुत्र हरवान लोधी

(2) रेखा पुत्री हरचरण लोधी

(3) सियारानी पुत्री रट्टी लोधी

तीनों निवासी ग्राम बाचरोन

तहसील पिछोर जिला शिवपुरी , मध्य प्रदेश ---आवेदकगण

विरूद्ध

1– म0प्र0शासन व्दारा कलेक्टर, शिवपुरी

2– तहसीलदार तहसील पिछोर जिला शिवपुरी

---अनावेदकगण

(निगरानी अंतर्गत धारा धारा 50 सहपठित धारा 8, मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 के अंतर्गत – आवेदकगण के स्वत्व की भूमि को पटवारी व्दारा शासकीय अभिलेख से विलोपित कर शासकीय दर्ज कर देने एंव तहसीलदार तहसील पिछोर जिला शिवपुरी व्दारा अमल को दुरूस्त करने से इंकार करने के विरूद्ध)

XXXIX(a)-BR (H)-11

राजस्व मण्डल,मध्यप्रदेश–ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ .....
निगरानी प्रकरण कमांक 188–दो/2017 जिला शिवपुरी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों तथा अभिभाषकों के ह
20–1–17	यह निगरानी आवेदकगण के स्वत्व एंव स्वामित्व की भूमि को शासकीय अभिलेख से नाम विलोपित कर देने एंव तहसीलदार पिछोर व्दारा अमल सुधार की दुरूस्ती का आवेदन देने पर मना करने के आधार पर मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 सहपठित 8 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि आवेदकगण के नाम ग्राम बाचरोन में भूमि सर्वे कमांक 1378 रकबा 14.21 हैक्टर में उनके नाम पर निम्नांकित अनुसार भूमि शासकीय अभिलेख में दर्ज रही है :– क. नाम कास्तकार सर्वे नंबर रकबा हैक्टर में 1– रामजीलाल पुत्र हरवान लोधी 740 6.609 2– रेखा पुत्री हरचरण लोधी उक्त में समान भाग 3– सियारानी पुत्री रटटी लोधी उक्त में समान भाग भूमि सर्वे कमांक 740 टुकड़ा का बंदोवस्त के वाद नया सर्वे नंबर 1193 रकबा 12.46 हैक्टर बना, जिसमें रकबा 6.609 हैक्टर के भूमिस्वामी आवेदकगण कमांक 1 से 3 हैं जो मौके पर काविज होकर खेती करके बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं। आवेदक कमांक 1 रामजीलाल सिंचाई हेतु ट्यूव वैल लगाने के लिये ऋण लेने बैंक गया एंव बैंकर्स ने नये खसरे की नकल मॉगी, तब पटवारी से संपर्क करने पर बताया गया कि भूमि सरकारी लिखी जा चुकी है, तब सभी ने मिलकर खसरों की प्रमाणित प्रतिलिपि निकलवाकर तहसीलदार पिछोर को दुरूस्ती आवेदन दिया एंव तहसीलदार ने उन्हें आवेदन वापिस नहीं किया तथा कार्यवाही करने	

से मुहूँ जवानी मना कर दिया, जिसके कारण यह निगरानी राजस्व मण्डल में प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में वर्णित तथ्यों पर आवेदकगण के अभिभाषक एंव शासन के पैनल लायर के तर्क सुने तथा प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव प्रस्तुत खसरा पंचशाला सन् 1986–87 लगायत 1989–90 की प्रमाणित प्रतिलिपि के अवलोकन से पाया गया है कि ग्राम बाचरोन तहसील पिछोर की भूमि सर्वे नंबर 740 का संपूर्ण रकबा 130 वीघा 13 विसवा है जिसमें से आवेदकगण 6.609 हैक्टर रकबा के भूमिस्वामी के कालम नंबर 3 में इस प्रकार प्रविष्ट दर्ज है –

1– रामजीलाल पुत्र हरवान लोधी
2– रेखा पुत्री हरचरण लोधी
3– सियारानी पुत्री रटटी लोधी

खसरा प्रविष्टि अनुसार आवेदकगण वादग्रस्त भूमि के वर्ष 1987–88 लगायत भूमिस्वामी निरन्तर रहे हैं । आवेदकगण के अभिभाषक का तर्क है कि हलका पटवारी को बिना सक्षम अधिकारी के आदेश के नवीन खसरा बनाते समय किसी भूमिस्वामी के स्वत्व की भूमि में छेड़–छाड़ करने अथवा नाम विलोपित करने की अधिकारिता नहीं है। विचार योग्य है कि जब सन् 1986–87 लगायत 1989–90 तक के मूल खसरे तहसील में अथवा जिला रिकार्ड रूम में उपलब्ध रहे हैं, तहसीलदार व्दारा मूल खसरा मॅगाकर देखने का प्रयास नहीं किया है और आवेदकगण व्दारा खसरा सुधार की मांग हेतु प्रस्तुत आवेदन पर कार्यवाही संज्ञान में न लेने में भूल की है।

XXXIX(a)-BR (H)-11

राजस्व मण्डल,मध्यप्रदेश–ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ ....
निगरानी प्रकरण कमांक 188–दो/2017 जिला शिवपुरी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	
	5/ तहसील न्यायालय से आवेदक को जारी की गई खसरा पॅचशाला सन् 1986–87 लगायत 1989–90 तक की प्रमाणित प्रतिलिपि से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि आवेदकगण के नाम भूमिस्वामी स्वत्व पर अंकित है इन अभिलेखों की अनदेखी करते हुये आवेदकगण व्दारा प्रस्तुत सॅशोधन आवेदन के बारे तहसीलदार पिछोर की मना करने पर क्या शोच रही है अनुमान लगाना संभव नहीं है, किन्तु आवेदकगण के भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि शासकीय दर्ज बनाये रखना नियमानुकूल कार्यवाही नहीं मानी जा सकती है। 7/ खसरा पॅचशाला सन् 1986–87 लगायत 1989–90 की प्रमाणित प्रतिलिपियॉ तहसील करैरा से आवेदकगण को प्रदाल की गई हैं। म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 117 इस प्रकार है :– " धारा 117 – भू अभिलेखों में की प्रविष्टियों के बारे में उपधारणा – भू अभिलेखों में इस अध्याय के अधीन की गई समस्त प्रविष्टियों के बारे में यह उपधाणा की जाएगी कि वे सही हैं जब तक कि तत्प्रतिकूल साबित न कर दिया जाए। " गंभीर सिंह तथा अन्य वि. कल्याण तथा अन्य 2000 रा0नि0 61 में न्यायमूर्ति श्री आर0पी0गुप्ता (हा0को0) ने व्यवस्था दी है कि (यद्धपि राजस्व लेखों की प्रविष्टियां खण्डल करने योग्य हैं परन्तु यदि प्रविष्टि का खण्डन नहीं होता है तो	

उसके सही होने का अनुमान किया जायेगा। जब दशकों से निरन्तर प्रविष्टि चली आ रही है तो उसके सही होने का अनुमान किया जायेगा).

गनी खान वि. अपना वाई 1883 एम0पी0एल0जे0 304 = 1983 रा.नि. 213 में मान. उच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि (जब खसरा की प्रतिलिपि उचित रूप से सत्य प्रमाणित हो और नियमानुसार दी गई हो तो साक्ष्य में ग्रहण करने योग्य होगी).

विचाराधीन प्रकरण में भी यही स्थिति है एंव प्रस्तुत अभिलेख का शासन के पैनल लायर खण्डन भी नहीं कर सके हैं। शासकीय अभिलेख अद्धतन रखने का दायित्व राजस्व अधिकारियों/कर्मचारियों का है। गणेशी लाल जैन विरूद्ध म0प्र0राज्य 2004 रा0नि0 329, A.I.R. 1969 S.C. 1297 तथा 1998(1) M.P.W.N. 26 के न्याय दृष्टांत हैं कि संबत 2007 (सन 1950) से महिला सरवती वाई का नाम भूमिस्वामी के रूप में अंकित होकर 1961 तक भूमिस्वामी के रूप में दर्ज रहा। आवेदिका भूमिस्वामी है। भूमि आवेदक के स्वत्व एंव आधिपत्य की मानी गई। यही स्थिति विचाराधीन प्रकरण की है क्योंकि वादग्रस्त भूमि खसरा पॅचशाला सन् 1986–87 लगायत 1989–90 में निरन्तर आवेदकगण के नाम भूमिस्वामी स्वत्व पर दर्ज चली आ रही है जिसके कारण आवेदकगण वादग्रस्त भूमि के रिकार्डेड भूमिस्वामी होना प्रमाणित है।

8/ आवेदकगण के अभिभाषक ने तर्को में बताया कि आवेदकगण मौके पर निरन्तर भूमि पर काविज होकर खेती करके अपने बच्चों का लालन–पालन करते आ रहे हैं । आवेदकगण ने

XXXIX(a)-BR (H)-11

राजस्व मण्डल,मध्यप्रदेश–ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ .....
निगरानी प्रकरण कमांक 188–दो/2017 जिला शिवपुरी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों तथा अभिभाषकों के ह
	वाद विचारित भूमि उबड़–खाबड़ से समतल बनायी है जिसमें काफी मेहनत की गई है। यदि वर्ष 1986–87 से आवेदकगण के स्वत्व एवं स्वामित्व की भूमि उनसे वर्ष 2017 में (30 वर्ष वाद) हलका पटवारी व्दारा अपलेखन की त्रृटि को सत्य मानकर शासकीय अंकित कर दी जाती है तब आवेदकगण को परिवार का पालन–पोषण करना मुश्किल हो जावेगा, क्योंकि आवेदक पिछड़े वर्ग की जाति के होकर कृषि श्रमिक है । आवेदक के अभिभाषक व्दारा प्रस्तुत तर्को पर मानवीय दृष्टिकोण से विचार किया जाय – 1. भगवानी वाई (श्रीमती) विरूद्ध म0प्र0राज्य तथा अन्य 2006 रा0नि0 229 के न्याय दृष्टांत अनुसार माननीय उच्च न्यायालय नें व्यवस्था दी है कि भूमिस्वामी के नाम भूमि दर्ज है जो कि राज्य के अधिकार एंव स्वामित्व की भूमि नहीं है । खसरा प्रविष्टियों का खण्डन नहीं किया गया, उसके सही होने की अवधारणा की जायेगी। 2. मालती (श्रीमती) विरूद्ध देवीराम 1993 रा.नि. 165 में माननीय उच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि खसरा प्रविष्टियां हैं उन्हें चुनौती नहीं दी गई, सही होने की उपधारणा की जायेगी। वर्ष 1986–87 लगायत 1989–90 तक निरन्तर आवेदकगण के नाम भूमिस्वामी स्वत्व पर दर्ज है एंव मौके पर खेती हो रही है, वादग्रस्त भूमि का नवीन खसरा बनाते समय हलका पटवारी ने	

बिना सक्षम अधिकारी के आदेश प्राप्त किये भूमि शासकीय दर्ज की है, जिसके कारण आवेदकगण को व्यर्थ मुकदमेवाजी में उलझलना पड़ा है ।

8/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाती है एंव मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 सहपठित 8 की शक्तियों का प्रयोग करते हुये तहसीलदार पिछोर जिला शिवपुरी को आदेश दिये जाते हैं कि ग्राम बाचरोन स्थित भूमि सर्वे कमांक 740 टुकड़ा का बंदोवस्त के वाद बना नया सर्वे नंबर 1193 रकबा 12.46 हैक्टर में से रकबा 6.609 हैक्टर के भूमिस्वामी आवेदकगण कमांक 1 से 3 का नाम चालू वर्ष के खसरे (कम्प्यूटराईज्ड खसरा सहित) में भूमिस्वामी के रूप में पूर्ववत् अंकित करावें।

सदस्य